<u>प्रेस नोट-39</u>

दिनांक- 21.12.24

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation convition अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलात्कार व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 14 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 45,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगो मे **operation convition** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एंव मानीटिरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय रायबरेली मे मु0अ0सं0 47/2014 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त राजकुमार पासी पुत्र भगौती पासी नि0 पूरे ओसा मजरे पाकरगांव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने मे सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट रायबरेली द्वारा अभियुक्त को दिनांक 21.12.2024 को धारा ¾ पाक्सो एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 30,000 रु का अर्थदण्ड एंव धारा 363 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारवास एवं 5000 रू0 अर्थदण्ड, धारा 366 में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा ने दिनांक 23.01.2014 समय 15.30 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं उसके साथ दुष्कर्म करने पर मु0अ0सं0 47/2014 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री शेषराज द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-25 दिनांक 31.01.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।